पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

[illegible] उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....फतेहपुर (सीकर)

[illegible]_____रेनू मीणा (आर.ए.एस..).....

संतोष देवी पुत्री स्व. गणपतराम पत्नी मांगीलाल जाति जाट निवासी ग्राम मालासी तहसील सुजानगढ जिला चुरु राज.

..... वादीया

बनाम

1. मुकन्दराम
2. भगवानाराम
3. परमेश्वर
4. दयाराम

   समस्त पुत्रगण स्व. गणपतराम जाति जाट निवासी चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

5. नाराणी पत्नि स्व. गणपतराम नाम हजफ किया गया।
6. पटवारी, पटवार हल्का दांतरु तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
7. तहसीलदार फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0?
8. उपपंजीयक फतेहपुर जिला सीकर राज0
9. जिला कलेक्टर सीकर प्रतिनिधी राज्य सरकार
10. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बाटड़ानाउ तहसील लक्ष्मनगढ जरिये प्रबंधक

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा , बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

मुकदमा नं 74 सन् 2013

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे

व हाजिरी श्री महिपालमूण्ड एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री विधाधर सैन मिनजानिब मुद्दयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम चाचीवाद बड़ा पटवार क्षेत्र दांतरु तहसील फतेहपुर की कृषि भूमियां खसरा नंबर 189/1 रकबा 0.8200 हैक्टयर, खसरा नंबर 190/2 रकबा 2.0300 हैक्टयर, खसरा नंबर 191/2 रकबा 2.4900 हैक्टयर कुल किता तीन रकबा 5.3400 हैक्टयर में वादीया को 1/5 हिस्से की खातेदार उद्घोषित की जाती है व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार उद्घोषित किया जाता है। वर्तमान खाता निरस्त उदघोषित किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगे। रहन खातेदारान बदस्तुर रहेगा।

निज – मुबलिग – बाबत –

खर्चा इस मुकद्दमें के मय शूद बशरह – फीसदी सालाना आज की तारीख से तरीख अदायगी तक का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह जून सन् 2018 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत (रूपा मीणा)

ओहदा अध्यक्ष
लोक अदालत
फतेहपुर शेखावाटी
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)